तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
17-10-24	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली वास्ते इन्तजार मौका रिपोर्ट DLC TDR इन्द्रगढ़ आगामी दिनांक 21-11-2024 को पेश हो।
21-11-24	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। तहसीलदार इन्द्रगढ़ द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट रास्ता शामिल पत्रावली की गयी। प्रस्तुत मौका रिपोर्ट का अवलोकन प्रार्थी अधिवक्ता को करवाया गया। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रस्तुत रिपोर्ट पर अनापत्ति जाहिर की जिसके हस्ताक्षर आदेशिका पर करवाये गये। प्रार्थी अधिवक्ता की पत्रावली पर बहस सुनी। पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र दिनांक 27-11-2024 को पेश हो।
27-11-24	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली आज निर्णय सुनाए जाने हेतु पेश हुई। तहसीलदार इन्द्रगढ़ द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के अवलोकन उपरान्त प्रार्थिया को अपनी खातेदारी कृषि भूमि पर कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होने से राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 14-06-2013 के प्रावधानों अन्तर्गत RTA 251(A) राजस्व (ग्रुप-6) के परिपत्र दिनांक 30.09.2021 के अनुसार प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रकरण दर्ज नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

न्यायालय उपखण्ड
प्रार्थना पत्र संख्या 85/
दायरा दिनांक 08.11
प्रेम बाई
बून्दी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लाखेरी जिला–बून्दी(राज0)

प्रार्थना पत्र संख्या 85/2022 पीठासीन अधिकारी

दायरा दिनांक 08.11.2022 श्रीमती भावना सिंह(**RAS**)

बउनवान

प्रेम बाई पत्नी जयराम जाति मीणा निवासी बोहरिया गावं तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राजस्थान।

–प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राजस्थान।

–अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क)

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. श्री दिनेश शर्मा – अधिवक्ता प्रार्थी
2. सरकार पेरोकार – अप्रार्थी

<u>निर्णय</u>

दिनांकः– 27.11.2024

प्रार्थिया ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर कथन किया कि आराजी कृषिभूमि खाता संख्या 6 खसरा संख्या 78 रकबा 2.22है0 वाके ग्राम सुमेरपुरा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राजस्थान में स्थित है उक्त भूमि की प्रार्थिया रिकॉर्ड खातेदार कृषक है वास्ते प्रमाण नकल जमाबंदी संलग्न है। प्रार्थिया की कृषि में जाने आने का रास्ता ग्राम बोहरिया गांव से सुमेरपुरा जाने वाले ग्रेवल रोड से खसरा संख्या 85 व 79/130 की पूर्वी मेर के सहारे सहारे प्रार्थिया की कृषि भूमि तक है प्रार्थिया की कृषिभूमि का रास्ता सिवायचक भूमि खसरा संख्या 85 व 79/130 में से है प्रार्थिया की कृषि भूमि पर पहुंचने का यही एक मात्र रास्ता है। प्रार्थिया ने अपनी आराजी में अमरूद का बगीचा लगा रखा है प्रार्थिया को अपनी कृषि भूमि में आने जाने के लिये 12फीट चौडे रास्ते की आवश्यकता है। प्रार्थिया की भूमि पर जाने का रास्ता सिवायचक भूमि में से होने से उक्त रास्ते की भूमि पर कुछ लोग जबरन कब्जा करते है और प्रार्थिया को अपनी कृषिभूमि में कृषि यंत्र, ट्रेक्टर, ट्रोली में जाने से रोकते है इसलिए प्रार्थिया स्थायी रूप से डी0एल0सी0 दर से रास्ता की भूमि की राशि न्यायालय में जमा करवाने को तैयार है जिससे प्रार्थिया को कृषि भूमि व बगीचे में आने जाने का स्थायी रास्ता हो सके। वाद कारण दिनांक 10.10.2022 को कुछ व्यक्तियों के द्वारा रास्ता की

उपखण्ड अधिकारी लाखेरी (बून्दी)

भूमि पर अतिक्रमण कर जबरन कब्जा किये जाने से उत्पन्न हुआ है उसके पश्चात से निरन्तर उत्पन्न हो रहा है। प्रार्थिया द्वारा अन्त में निवेदन किया गया कि प्रार्थिया को खसरा संख्या 85 रकबा 1.40है0 व खसरा संख्या 79/130 रकबा 1.14है0 की पूर्वी मेर के सहारे सहारे 12फीट चौडे रास्ता दिलाया जावे और रास्ता भूमि की राशि डी0एल0सी0 दर से जमा करवाकर उक्त रास्ते का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करवाया जावे।

प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर जर्ये नोटिस अप्रार्थी को तलब किया गया। सरकार पेरोकार तहसीलदार इन्द्रगढ़ से रिकॉर्ड एवं मौके की रिपोर्ट ली गई जिसका अवलोकन करने पर मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट के ग्राम सुमेरपुरा खसरा संख्या 78 रकबा 2.22है0 पर आने–जाने हेतु ग्राम बोहरियागांव से सुमेरपुरा जाने वाले ग्रेवल सड़क के खसरा संख्या 85 व 79/130 की पूर्वी सहारे रास्ता चाहा गया है। मौका अनुसार प्रार्थिया की खातेदारी भूमि पर आने–जाने का अन्य कोई रास्ता नहीं है। प्रार्थी वर्तमान में खसरा संख्या 80 में होकर आ जा रहा है परन्तु उक्त खसरा संख्या गैर मुमकिन नाला है। प्रार्थिया को अपनी खातेदारी कृषिभूमि खसरा संख्या 78 वाके ग्राम सुमेरपुरा पर आने जाने हेतु खसरा संख्या 85 व 79/130 की पूर्वी मेर के सहारे–सहारे रास्ता दिया जाना उचित है। उक्त रास्ता पहुंच हेतु अत्यन्त आवश्यक है तथा इसके अतिरिक्त कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं है। अन्त में प्रार्थिया को कृषिभूमि पर पहुंच हेतु रास्ता दिये जाने की अभिशंषा की गयी।

प्रार्थिया के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गयी प्रार्थिया अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का दौहराव करते हुए दौराने बहस कथन किया कि प्रार्थिया तहसीलदार इन्द्रगढ़ द्वारा प्रस्तावित रास्ता मौका रिपोर्ट से सहमत है प्रार्थिया खातेदार को 12 फीट का रास्ता दिया जाना आवश्यक है अन्यथा प्रार्थी अपनी कृषि भूमि पर काश्त करने से वंचित हो जायेगा प्रार्थी को जीवन यापन करना मुश्किल हो जायेगा।

हमारे द्वारा प्रार्थिया अधिवक्ता के अभिवचनों को ध्यान में रखते हुए एवं पत्रावली रिपोर्ट तहसीलदार का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने एवं राजस्थान सरकार राजस्व(ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र दिनांक 30.09.2021 के अनुसार रास्ता या पहुंच मार्ग एक आवश्यक सुखाधिकार है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251(क) के प्रावधानो के अन्तर्गत खातेदार द्वारा अन्य खातेदारों की जोत से पहुंच मार्ग नियमानुसार दिये जाने के प्रावधानों के अनुसार रास्ते का विकल्प नहीं होने की स्थिति में नया पहुंच मार्ग दिया जा सकता है। वर्तमान में प्रार्थिया की खातेदारी कृषि भूमि खाता संख्या 6 खसरा संख्या 78 रकबा 2.22है0 वाके ग्राम सुमेरपुरा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी में जाने हेतु अन्य कोई पहुंच मार्ग का विकल्प नहीं होने का तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट से अवगत कराया गया है साथ ही निकटतम दूरी का रास्ते का प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया गया है। ऐसी स्थिती को मध्यनजर रखते हुए प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

अतः प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रस्तावित रास्ता 4 मीटर चौडाई में वाके ग्राम सुमेरपुरा पटवार हल्का बाहेरिया गांव तहसील इन्द्रगढ़ के खसरा संख्या 85, 79/130 की पूर्वी मेर के सहारे–सहारे होता हुआ प्रार्थिया की खातेदारी कृषिभूमि खसरा संख्या 78 तक मुताबिक नक्शा ट्रेस रहेगा। उक्त प्रस्तावित रास्ता नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाया गया है जो निर्णय का भाग रहेगा। उक्त प्रस्तावित रास्ते में वाके ग्राम सुमेरपुरा के खसरा संख्या 85 में से रकबा 0.0332है0, खसरा संख्या 79/130 में से रकबा 0.0912है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.1244है0 भूमि जो खातेदार राजकीय सिवायचक दर्ज है, की आवश्यकता होगी। रास्ते में आने वाली भूमियों के रकबे का डी0एल0सी0 दर से दुगना प्रतिकर राशि राजकोष में जमा करने पर रास्ता 4मीटर की चौडाई में मुताबिक नक्शा ट्रेस बहाल किये जाने का आदेश दिये जाते है। तहसीलदार इन्द्रगढ़ को आदेशित किया जाता है कि प्रस्तावित रास्ते में आने वाली उक्त सिवायचक भूमि के प्रभावित रकबे की वर्तमान डी0एल0सी0 दर से दुगनी प्रतिकर राशि की गणना मय राजस्व लेखाकार रिपोर्ट करवाकर गणन अनुसार प्रतिकर राशि राजकोष में प्रार्थिया द्वारा जर्ये डी0डी0 जमा करवाने पर रास्ता बहाल किया जावे एवं रास्ते के उपयोग में ली गई कृषि भूमि का रकबा मूल खसरों से कम करते हुए रास्ते के लिए प्रदत्त की गई भूमि का राजस्व अभिलेखों में रास्ते के रूप में पृथक से नियमतः अभिलिखित की जावे उक्त भूमि का उपयोग सार्वजनिक होगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27–11–2024 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी(बून्दी)